संख्या-86/2022/2233078/12-2099/57/2022

प्रेषक,

राधेश्याम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर, 2022

विषयः-अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0403-कपास एवं बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0/1410-जी/4401-बजट/2022-23, दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-103-बीज-04-आधारिक बीज भण्डार-0403-कपास एवं बिनौले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित) के मानक मद 42-अन्य व्यय में रूपये 125 लाख एवं 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रूपये 125 लाख अर्थात कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 135.00 लाख के सापेक्ष 42-अन्य व्यय में रूपये 83.33 लाख (रूपया तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रत्येक भुगतान से पूर्व आपूर्ति सत्यापन, प्री आडिट, स्टोर एवं वितरण अंकन आदि कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, इसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार किया जायेगा। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

10. निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,33,000 (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4401001030403 कपास और बिनोले के बीजों की लागत (प्रासंगिक व्यय सहित) **मानक मद** 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राधेश्याम
उप सचिव।

संख्या-86/2022/2233078(1)/12-2099/57/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राधेश्याम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।